ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड

वी.

विशेष प्रवर्तन निदेशक

(सिविल अपील संख्या 680/2014)

16 जनवरी 2014

[सुरिंदर सिंह निज्जर और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जेजेजे

आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम का ज्ञापन - खंड 9 - सी विदेशी मुद्रा की बिक्री - प्रतिबंध - आयोजित: पैराग्राफ 9 के तहत, मुद्रा परिवर्तकों के बीच, रुपये के मूल्य में किसी भी विदेशी मुद्रा नोट आदि की खरीद और बिक्री के लिए खुली छूट दी गई है, उसमें लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि विदेशी मुद्रा डी के भारतीय रुपये के मूल्य का भुगतान नकद के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमेशा एक पराक्रम्य लिखत के रूप में या खरीदार के बैंक खाते से डेबिट करके भुगतान किया जाना चाहिए - तत्काल मामले में, लेन-देन पे-ऑर्डर के रूप में भुगतान के माध्यम से किया गया था - यह नहीं माना जा सकता कि पूरा लेन-देन एफएलएम के पैराग्राफ 3 के उल्लंघन में था।

खंड 3- विदेशी मुद्रा की बिक्री - 'अधिकृत अधिकारी' - आयोजित: जब कोई मुद्रा परिवर्तक अपना व्यवसाय संचालित करता है इसके परिसर से, इसके धन परिवर्तन व्यवसाय के हिस्से के रूप में बिक्री या खरीद के माध्यम से कोई भी लेनदेन केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाना चाहिए - तत्काल मामले में, यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि दोनों व्यक्तियों में से कोई भी इसमें शामिल नहीं है, पैसे बदलने का लेन-देन व्यवसाय अपने संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिकृत अधिकारी नहीं थे और इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ पैराग्राफ 3 के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता - बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर पर

अपीलकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री कथित उल्लंघन का आधार नहीं थी एसएस के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 का। फेरा की धारा 6(4), 6(5) और 7 434

टिप्पणी

विवादित आदेश जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को एसएस के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। एफईआरए की धारा 6(4), 6(5) और 7 और परिणामी जुर्माना लगाना पूरी तरह से अनुचित होने के कारण, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973-एसएस.6 (4), 6(5), 7 और 8 को रद्द कर दिया जाता है।

अपीलकर्ता सी.ए. 2014 की संख्या 680, एक कंपनी और उसके कार्यकारी निदेशक (2014 के सीए 681 में अपीलकर्ता) के खिलाफ इस आरोप पर कार्यवाही की गई थी कि उन्होंने एसएस 6 (4), 6 के उल्लंघन में क्रेता द्वारा प्रतिनियुक्त अनधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बेची थी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 ("FERA") के (5), 7 और 8 और साथ ही आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम के ज्ञापन के अनुच्छेद 3। यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता से आरबीआई द्वारा निर्धारित विनिमय दर से अधिक दर पर विदेशी मुद्रा खरीदी गई थी। प्रतिवादी ने दोनों अपीलकर्ताओं पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। उनकी अपीलें विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गईं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए और आयोजित: 1.1. आक्षेपित आदेशों से पता चलता है कि एकमात्र उल्लंघन या उल्लंघन एफईआरए की धारा 6(4) और 6(5) के सपठित आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में निहित शर्तों से संबंधित है। एफएलएम के पैराग्राफ 9 के तहत मनी चेंजर्स के बीच रुपये के मूल्य में किसी भी विदेशी मुद्रा नोट आदि की खरीद और बिक्री के लिए खुली छूट दी गई है। उसमें लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि विदेशी मुद्रा के भारतीय रुपये के मूल्य का भुगतान नकद के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमेशा

बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसे पराक्रम्य लिखत के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। या क्रेताओं के बैंक खाते से डेबिट करके। तत्काल मामले में, लेनदेन दो लाइसेंस प्राप्त एफएफएमसी के बीच हुआ था और उक्त लेनदेन विदेशी विनिमय द्वारा किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 1 एस.सी.आर. पे-ऑर्डर के रूप में भुगतान के माध्यम से एक मुद्रा। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि लेनदेन FERA के ss.6(4) और 6(5) और FLM के पैराग्राफ 3 का उल्लंघन था, ताकि जुर्माना लगाया जा सके। [पैरा 14] [445-एच; 446- ए, सी-डी, ई-जी]

1.2. एफएलएम के पैराग्राफ 3 का शीर्षक "अधिकृत अधिकारी" है। उक्त अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी लाइसेंस प्राप्त मुद्रा परिवर्तक को अपने परिसर में धन परिवर्तन व्यवसाय के लेन-देन की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से देनी चाहिए जो रिज़र्व बैंक के कार्यालय द्वारा प्रमाणित सूचीबद्ध अधिकृत अधिकारी हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे मुद्रा परिवर्तक आते हैं। अपना व्यवसाय संचालित करें. पैराग्राफ 3 का अंतिम भाग स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करता है जिसमें कहा गया है कि "अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को मनी-चेंजर की ओर से मनी-चेंजिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"। जाहिर है, जब कोई मनी चेंजर अपने परिसर से अपना व्यवसाय संचालित करता है, तो उसके मनी चेंजिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में बिक्री या खरीद के माध्यम से कोई भी लेनदेन केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [446-एच; 447-ए-सी] 1.3. यदि ऐसा लेनदेन अपीलकर्ताओं और क्रेता के बीच हुआ था, तो इसे केवल उनके संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए था। 2014 के सीए नंबर 681 में अपीलकर्ता के बयान से पता चलता है कि प्रत्येक अवसर पर अपीलकर्ता के शाखा प्रबंधक द्वारा क्रेता प्रतिष्ठान के एक 'पी' के साथ लेनदेन पर बातचीत की गई थी। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि पैसे बदलने के कारोबार में शामिल इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी अपने संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिकृत अधिकारी नहीं थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ पैराग्राफ 3 के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

1.4. यह भी सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलकर्ताओं और उक्त चिंता के बीच पैसे बदलने के लेनदेन के समाप्त होने के बाद, तत्काल मामले में क्रेता के कहने पर एफईआरए या फेमा के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के लिए, अपीलकर्ताओं को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। [पैरा 17] [448-ए-बी]

1.5. मामले के विशिष्ट तथ्यों और अपीलकर्ताओं और क्रेता के बीच हुए लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा नोट किया गया है, मूल प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश में बताया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के साथ-साथ, एफएलएम के पैराग्राफ 3 या उस मामले के लिए, एफईआरए, 1973 के एसएस.6(4) और 6(5) के उल्लंघन का आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। [पैरा 18] [448-बी-डी]

कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनाम स्वास्टिक वूलेन्स प्रा. लिमिटेड 1988 आपूर्ति। एससीआर 370=1988 (सप्लीमेंट) एससीसी 796, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम चारमीनार नॉन-वुवेंस लिमिटेड 2009 (14) एससीआर 205 (2009) 10 एससीसी 770 और घीसालाल बनाम धापुबाई (मृत) एलआर और अन्य द्वारा। 2011 (1) एससीआर 651 (2011) 2 एससीसी 298 - सहायता अनुपयुक्त।

1.6. जहां तक उच्च मूल्य के सवाल का संबंध है, जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा क्रेता को विदेशी मुद्रा बेचने का आरोप लगाया गया था, यह कहना पर्याप्त है कि मूल प्राधिकरण, साथ ही ट्रिब्यूनल और डिवीजन बेंच के विवादित आदेशों में, अपीलकर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर पर की गई बिक्री एसएस के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 के कथित उल्लंघन का आधार नहीं थी। फेरा की धारा 6(4), 6(5) और 7। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पारित जब्ती आदेश में, जहां अपीलकर्ता भी नोटिस प्राप्तकर्ता थे, उस आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ

कोई दोष नहीं पाया गया। [पैरा 19 और 21] [448-एफ; 449-जी-एच; 450-ए-बी]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014] 1 एस.सी.आर.पी.वी. मोहम्मद बरमे संस बनाम निदेशक प्रवर्तन 1992 (61) ईएलटी 337 सहायता अनुपयुक्त।

1.7. आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को एसएस के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। FERA की धारा 6(4), 6(5) और 7 और परिणामस्वरूप 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाना पूरी तरह से अनुचित होने के कारण, खारिज कर दिया गया है। जुर्माना राशि, यदि वसूल की जाती है, अपीलकर्ताओं को 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जाए। [पैरा 22] बी

केस कानून संदर्भ:

1988 सप्ल. एससीआर 370 सहायता अनुपयुक्त पैरा 6

2009 (14) एससीआर 205

2011 (1) एससीआर 651

अनुपयुक्त पैरा 6 में मदद करें

1992 (61) ईएलटी 337

अनुपयुक्त पैरा 6 में मदद करें

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या 680 ई।

2008 की फेमा अपील संख्या 3 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2010 से।

अपीलकर्ता के लिए एच.एन. साल्वे, संजीव सेन, अभिनव अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ई.सी. अग्रवाल।

एस.के. बागरिया, एएसजी, पी.के. प्रतिवादी की ओर से डे, आनंदो मुखर्जी, सिद्धार्थ पांडा, बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

नकली मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. मंज़ूर किया गया।

2. इन दो अपीलों में, 2008 की फेमा अपील संख्या 3 और 4, दिनांक 14 अक्टूबर 2010 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के एक सामान्य फैसले को चुनौती दी गई है। 2011 की एसएलपी संख्या 7657 में अपीलकर्ता के खिलाफ भी कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्रवाई की गई थी। प्रतिवादी ने 29 अप्रैल 2002 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 2011 के एसएलपी संख्या 7655 में अपीलकर्ता ने 29.4 के बीच 1,47,000 अमेरिकी डॉलर और यूके के 1000 स्टर्लिंग £ के मूल्य पर विदेशी मुद्रा बेची। 1997 से 5.6.1997 तक मेसर्स होटल ज़म ज़म द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (इसके बाद इसे "FERA" कहा जाएगा) की धारा 6(4), 6(5), 7 और 8 के उल्लंघन में प्रतिनियुक्त अनधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से। आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 के रूप में। अपीलकर्ताओं को यह बताने के लिए बुलाया गया था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (इसके बाद इसे "फेमा" कहा जाएगा) की धारा 49 (3) और (4) के सपठित एफईआरए की धारा 50 के तहत उनके खिलाफ जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद, दिनांक 28.10.2004 के आदेश द्वारा प्रतिवादी ने दोनों अपीलकर्ताओं पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। अपीलकर्ताओं ने 2004 की अपील संख्या 1259 और 1260 में विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की, जिसे 2.7.2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। मूल प्राधिकारी, साथ ही अपीलीय प्राधिकारी के उपरोक्त आदेश, 2008 की फेमा अपील संख्या 3 और 4 में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती का विषय थे। डिवीजन बेंच ने आदेशों की पुष्टि की थी निचली अथॉरिटी, साथ ही ट्रिब्यूनल, अपीलकर्ता इन अपीलों के साथ आगे आए हैं।

4. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एन. साल्वे और श्री एस.के. को सुना। बागरिया, विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 1 एस.सी.आर. प्रतिवादी के लिए एक जनरल. हमने अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित दलीलों का भी अध्ययन किया। हमने मूल प्राधिकारी, ट्रिब्यूनल, साथ ही डिवीजन बेंच के आदेश का भी अवलोकन किया और संबंधित पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद हम इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े।

5. श्री साल्वे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने अपीलकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलों में मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मेसर्स होटल ज़म ज़म के संबंध में बिक्री और खरीद के मामले में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। 29.4.1997 और 5.6.1997 के बीच 1,47,000 अमेरिकी डॉलर और यूके के 1000 स्टर्लिंग £ की बिक्री, क्योंकि दोनों 7 अपीलकर्ता कंपनी, साथ ही मेसर्स होटल ज़म ज़म विधिवत लाइसेंस प्राप्त पूर्ण मनी चेंजर हैं। संक्षेप में एफएफएमसी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त एफएफएमसीएस के बीच डी जैसे लेनदेन पूरी तरह से एफईआरए के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के एफएलएम के ज्ञापन के तहत अधिकृत हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आदेश ई दिनांक 21.8.1998 के अनुसार अपीलकर्ताओं के साथ-साथ मेसर्स होटल ज़म ज़म के खिलाफ शुरू की गई जब्ती की कार्यवाही में यह पाया गया कि अपीलकर्ताओं को किसी भी वैधानिक उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए, मूल प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना लगाया जाना और ट्रिब्यूनल और डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि को रद्द किया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियों के विपरीत, श्री बागरिया, विद्वान अतिरिक्त। सॉलिसिटर जनरल का तर्क होगा कि एफईआरए की धारा 6, धारा 7 और 8 की उप-धाराओं (4) और (5) में निहित वैधानिक शर्तों के आधार पर, आरबीआई के एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 के साथ पढ़ा गया था।

अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मूल प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मूल प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दस्तावेजों, सामग्रियों के आधार पर एक समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं।

ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड 441 के विशेष निदेशक प्रवर्तन [चित्र मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे.] साथ ही रिकॉर्ड पर दिए गए बयान और उक्त निष्कर्ष विकृत नहीं हैं और इसलिए, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनाम स्वास्टिक वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्णयों पर भरोसा रखा गया। लिमिटेड - 1988 (सप्लीमेंट) एससीसी 796, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम चारमीनार नॉन-वोवेन्स लिमिटेड - (2009) 10 एससीसी 770 और घीसालाल बनाम धापुबाई (मृत) एलआर और अन्य द्वारा। (2011) 2 एससीसी 298। यह भी तर्क दिया गया कि होटल ज़म ज़म ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विनिमय दर से अधिक दर पर अपीलकर्ता से विदेशी मुद्रा खरीदी और इस आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई और जुर्माना लगाया गया। जुर्माना उचित था. उक्त विवाद का समर्थन करने के लिए, पी.वी. के निर्णय पर भरोसा किया गया था। मोहम्मद बरमे संस बनाम प्रवर्तन निदेशक 1992 (61) ईएलटी 337।

7. जब हम संबंधित अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि एफईआरए की धारा 6(4), 6(5), 8(2) और आरबीआई के एफएलएम के ज्ञापन के पैरा 3 और 9 पर ध्यान देना आवश्यक है, जो हैं निम्नानुसार:

"धारा 6 विदेशी मुद्रा में अधिकृत व्यापारी:- और 6(4) एक अधिकृत डीलर, विदेशी मुद्रा में अपने सभी लेनदेन में और धारा 74 के तहत उसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के प्रयोग और निर्वहन में, ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसा कि रिज़र्व बैंक कर

सकता है। , समय-समय पर देना उचित समझे, और रिज़र्व बैंक की पिछली अनुमति के अलावा, एक अधिकृत डीलर किसी भी विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होगा जो इस धारा के तहत उसके प्राधिकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं है।

6(5) एक अधिकृत डीलर को, किसी भी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन करने से पहले, उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा करने और ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता होगी जो उसे उचित रूप से संतुष्ट करेगी कि लेनदेन में शामिल नहीं होगा, और डिज़ाइन नहीं किया गया है, के लिए यह है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या आदेश के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन या चोरी का उद्देश्य, और जहां उक्त व्यक्ति ऐसी किसी भी आवश्यकता का पालन करने से इनकार करता है या केवल असंतोषजनक अनुपालन करता है, अधिकृत डीलर इनकार कर देगा लेन-देन करने के लिए और, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त किसी भी तरह के उल्लंघन या चोरी पर विचार किया गया है, तो वह मामले की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को करेगा।

धारा 8: विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर प्रतिबंध:-

(2) रिज़र्व बैंक की पिछली सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अधिकृत डीलर हो या मनी-चेंजर या अन्यथा, किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा जो भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने का प्रावधान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत समय के लिए विनिमय दरों के अलावा अन्य दरों पर भारतीय मुद्रा में।

3. सभी मनी-चेंजर्स को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में अपने प्रतिनिधियों के पूर्ण नाम और पदनाम देने वाली सूचियों को अग्रेषित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो उनकी ओर से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत हैं, साथ ही उनके नमूना

हस्ताक्षर भी। रिज़र्व बैंक के उस कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं। उनकी सूची में कोई भी बदलाव रिजर्व बैंक के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए। अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मनी-चेंजर की ओर से मनी-चेंजिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्य मनी-चेंजर्स और अधिकृत डीलरों से खरीदारी:- ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड 443 प्रवर्तन के विशेष निदेशक [फक्किर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे.]

9. मुद्रा परिवर्तक अन्य मुद्रा परिवर्तकों और विदेशी मुद्रा या उनके विनिमय ब्यूरो में अधिकृत डीलरों से पत्र द्वारा प्रस्तुत किसी भी विदेशी मुद्रा नोट और सिक्कों को स्वतंत्र रूप से खरीद सकते हैं। हालाँकि, खरीदी गई विदेशी मुद्रा की राशि के बराबर रुपये का भुगतान उनके बैंक खाते पर आहरित क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए या यदि बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है, तो इसके साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित लिखत जारी करने वाले बैंक से यह प्रमाणित किया जाता है कि लिखत के लिए धनराशि आवेदक के बैंक खाते में डेबिट द्वारा प्राप्त की गई है। किसी भी परिस्थिति में ऐसी बिक्री के संबंध में भुगतान नकद में नहीं किया जाना चाहिए।"

8. धारा 6(4) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि विदेशी मुद्रा में अधिकृत डीलर के रूप में एक पूर्ण मनी चेंजर (एफएफएमसी) को आरबीआई द्वारा जारी किए जा सकने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों या अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि आरबीआई की पूर्व अनुमति के अनुसार, अधिकृत डीलरों को किसी भी विदेशी मुद्रा में शामिल किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होना चाहिए, जो उसके प्राधिकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं है। धारा 6(5) के तहत यह निर्धारित है कि एक अधिकृत डीलर को विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन करने से पहले कुछ पहलुओं पर सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफईआरए के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है और यदि एफएफएमसी के पास विश्वास करने का कोई कारण है यदि कोई व्यक्ति

विदेशी मुद्रा में किसी भी लेनदेन में शामिल होना चाहता है तो ऐसे किसी भी उल्लंघन या चोरी पर विचार किया जाता है, एफएफएमसी को मामले की रिपोर्ट आरबीआई को देनी चाहिए।

9. FERA की धारा 8 विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है। उक्त प्रावधान इस आशय का प्रतिबंध लगाता है कि भारत में अधिकृत डीलर के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी मुद्रा की खरीद या अन्यथा अधिग्रहण या उधार नहीं लेगा। उपधारा 2 के तहत, यह निर्धारित है कि आरबीआई की पिछली सामान्य या विशेष अनुमति को छोड़कर, एक अधिकृत डीलर या मनी चेंजर को किसी भी लेनदेन में प्रवेश करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट:- आरबीआई द्वारा अधिकृत वर्तमान दरों के अलावा अन्य विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में या इसके विपरीत में रूपांतरण प्रदान करना।

10. उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, अन्य प्रासंगिक प्रावधान आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 और 9 हैं। पैराग्राफ 3 की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि उक्त पैराग्राफ आरबीआई द्वारा यह बताने के लिए जारी किया गया है कि किसे मनी चेंजर्स का 'अधिकृत अधिकारी' कहा जा सकता है। उक्त अनुच्छेद इस आशय का प्रतिबंध भी लगाता है कि अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा, किसी अन्य को बी की ओर से धन बदलने का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुद्रा परिवर्तक। 11. अनुच्छेद 9 वस्तुत: मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी मुद्रा आदि की खरीद में शामिल होने की खुली छूट देता है, और डी एकमात्र प्रतिबंध यह है कि ऐसी खरीदारी करते समय खरीद मूल्य का भुगतान केवल एक उपकरण के माध्यम से किया जाना चाहिए नकदी के माध्यम से नहीं.

12. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जब हम अपीलकर्ताओं और मैसर्स होटल ज़म ज़म के बीच हुए लेनदेन की प्रकृति का उल्लेख करते हैं, तो निम्नलिखित तथ्य विवाद में नहीं हैं: अपीलकर्ता, साथ ही मेसर्स होटल ज़म ज़म भी हैं लाइसेंस प्राप्त एफएफएमसी।

(बी) अपीलकर्ताओं ने अप्रैल 1997 से जून 1997 के बीच मेसर्स होटल ज़म ज़म को 1,47,000 यूएस डॉलर की विदेशी मुद्रा और यूके के 1,000/- स्टर्लिंग पाउंड बेचे।

(सी) उपरोक्त विदेशी मुद्रा का खरीद मूल्य बाजार में प्रचलित मौजूदा खुदरा दर से अधिक दर पर था। खरीद मूल्य का भुगतान मेसर्स होटल ज़म द्वारा किया गया था वेतन आदेश के माध्यम से ज़म।

(ई) लेनदेन से पहले, अपीलकर्ताओं के कहने पर, मेसर्स होटल ज़म ज़म के आरबीआई लाइसेंस की एक ज़ेरॉक्स प्रति प्रस्तुत की गई थी और जिसके आधार पर लेनदेन प्रभावी हुआ था। लेनदेन 29.04.1997, 06.05.1997, 29.05.1997 और 05.06.1997 को प्रभावी हुए थे और संबंधित तिथियों पर लेनदेन की राशि 7,000 अमेरिकी डॉलर, यूके के 1000 स्टर्लिंग £, 40,000 अमेरिकी डॉलर और 1,00,000 अमेरिकी डॉलर थी। अपीलकर्ताओं द्वारा मेसर्स होटल ज़म ज़म को कुल मिलाकर 1,47,000 यूएस डॉलर और यूके के 1000 स्टर्लिंग £ बेचे गए थे। (जी) उपरोक्त सभी लेनदेन किए गए और विदेशी मुद्रा मेसर्स होटल ज़म ज़म के प्रतिनिधि श्री राकेश महात्रे को सौंप दी गई।

13. अपीलकर्ताओं और मेसर्स होटल ज़म ज़म के बीच लेनदेन से संबंधित उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों के आधार पर, मूल प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता विदेशी मुद्रा खरीदने/बेचने के लिए संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में प्राधिकरण को सत्यापित करने में विफल रहे। उक्त मुद्रा परिवर्तकों की ओर से, जैसा कि प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरबीआई द्वारा जारी एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में निहित निर्देशों के आधार पर यह अपीलकर्ताओं पर निर्भर था कि वे मेसर्स होटल ज़म द्वारा उनके लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करें। ऐसे व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा सौंपने से पहले । इसलिए, अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ताओं की ओर से उक्त विफलता के परिणामस्वरूप एफईआरए

की धारा 6(4), 6(5) और 7 के साथ पढ़े गए एफएलएम के ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में निहित निर्देशों का उल्लंघन हुआ। अंततः अपीलकर्ताओं को उक्त उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया और जुर्माना लगाया गया। मूल प्राधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि ट्रिब्यूनल, साथ ही उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने की थी।

14. उपरोक्त आक्षेपित आदेशों से पता चलता है कि एकमात्र एच FERA की धारा 6(4) और 6(5) के सपठित पैराग्राफ 3 में निहित शर्तों से संबंधित उल्लंघन या उल्लंघन। यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि विदेशी मुद्रा के खरीद मूल्य की दरों में भिन्नता अपीलकर्ताओं के खिलाफ उल्लंघन के बारे में अंतिम निष्कर्ष का आधार नहीं थी। इसलिए, उक्त पहलू को अलग रखते हुए, जब हम अपीलकर्ताओं के खिलाफ साबित हुए उल्लंघन की जांच करते हैं, तो हम सबसे आगे पैराग्राफ 9 का संदर्भ देना उचित समझते हैं। एफएलएम के पैराग्राफ 9 के तहत मनी चेंजर्स के बीच रुपये के मूल्य में किसी भी विदेशी मुद्रा नोट आदि की खरीद और बिक्री के लिए खुली छूट दी गई है। उसमें लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि विदेशी मुद्रा के भारतीय रुपये के मूल्य का भुगतान नकद के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमेशा बैंकर चेक/पे-ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसे साधन के रूप में किया जाना चाहिए, या क्रेताओं के बैंक खाते से डेबिट करके। इसलिए, यदि पैराग्राफ 9 के तहत संबंधित कानूनों के तहत परक्राम्य उपकरणों के रूप में भुगतान करके मुद्रा परिवर्तकों, अर्थात् एफएफएमसी को विदेशी मुद्रा आदि की खरीद के मामले में ऐसी खुली छूट दी गई है, तो सवाल यह है कि क्या होगा विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या इस प्रकृति के मामले में जहां ऐसा लेन-देन दो लाइसेंस प्राप्त एफएफएमसी के बीच हुआ था और उक्त लेन-देन पे-ऑर्डर के रूप में भुगतान के माध्यम से विदेशी मुद्रा के विनिमय द्वारा किया गया था और यह कि अपीलकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री और अन्य एफएफएमसी, अर्थात् मेसर्स होटल ज़म ज़म द्वारा की गई खरीद विवादित नहीं थी, क्या यह अभी भी माना जा सकता है कि जुर्माना लगाने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई उल्लंघन हुआ था? जब हम उक्त मुद्दे की जांच करते हैं, तो हम

प्रतिवादी के रुख को स्वीकार या स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि श्री राकेश महात्रे द्वारा पहले होटल ज़म ज़म में उल्लिखित मूल्यों के लिए विदेशी मुद्राएं थीं और इसलिए, पूरा लेनदेन उल्लंघन में था। FERA की धारा 6(4) और 6(5) और FLM का पैराग्राफ 3।

15. जब हम एफएलएम के पैराग्राफ 3 की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं उक्त पैराग्राफ का शीर्षक "अधिकृत अधिकारी" है। उक्त अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी लाइसेंस प्राप्त मुद्रा परिवर्तक को अपने परिसर में धन परिवर्तन व्यवसाय के लेन-देन की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से देनी चाहिए जो रिज़र्व बैंक के कार्यालय द्वारा प्रमाणित सूचीबद्ध अधिकृत अधिकारी हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे मुद्रा परिवर्तक आते हैं। अपना व्यवसाय संचालित करें. पैराग्राफ 3 का अंतिम भाग स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करता है जिसमें कहा गया है कि "अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को मनी-चेंजर की ओर से मनी-चेंजिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"। जाहिर तौर पर जब कोई मनी चेंजर अपने परिसर से अपना व्यवसाय संचालित करता है, तो उसके मनी चेंजिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में बिक्री या खरीद के माध्यम से कोई भी लेनदेन केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

16. जब हम उक्त शर्त के आवेदन को वर्तमान प्रकृति के मामले में विस्तारित करते हैं, तो यह केवल कहा जा सकता है कि यदि अपीलकर्ताओं और क्रेता मेसर्स होटल ज़म ज़म के बीच ऐसा लेनदेन हुआ था, तो इसे जारी रखा जाना चाहिए था केवल उनके संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से। 2011 की एसएलपी (सी) संख्या 7657 में अपीलकर्ता श्री पीटर केरकर के बयान से पता चलता है कि प्रत्येक अवसर पर अपीलकर्ता के शाखा प्रबंधक द्वारा मेसर्स होटल ज़म ज़म की सुश्री पिंकी के साथ लेनदेन पर बातचीत की गई थी। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी जो पैसे बदलने के कारोबार में शामिल था, अपने संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिकृत अधिकारी नहीं थे। यदि अपीलकर्ताओं और

मेसर्स होटल ज़म ज़म के बीच हुए व्यापारिक लेनदेन से संबंधित उक्त तथ्य विवाद में नहीं है, तो हम यह देखने में विफल हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ पैराग्राफ 3 के उल्लंघन का आरोप कैसे लगाया जा सकता है।

17. यह कहा गया है कि अपीलकर्ताओं और मेसर्स होटल ज़म ज़म के बीच लेनदेन समाप्त होने के बाद, मेसर्स होटल ज़म ज़म ने कुछ लेनदेन में शामिल होने की बात कही, जो एफईआरए के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके साथ अपीलकर्ताओं ने किसी भी तरह से चिंतित नहीं थे. यह भी सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलकर्ताओं और उक्त चिंता के बीच पैसे बदलने के लेनदेन के समाप्त होने के बाद मेसर्स होटल ज़म ज़म के उदाहरण पर FERA या FEMA के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के लिए, अपीलकर्ता किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

18. हमारी सुविचारित राय है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और अपीलकर्ताओं और मैसर्स होटल ज़म ज़म के बीच हुए लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इसे विवादित सी में वर्णित किया गया है। मूल प्राधिकारी के आदेश के अनुसार जैसा कि ट्रिब्यूनल, साथ ही उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने नोट किया है, हम आश्वस्त हैं कि एफएलएम के पैराग्राफ 3 या उस मामले की धारा 6(4) के उल्लंघन का आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी और फेरा, 1973 की धारा 6(5), फेरा, 1973 की धारा डी 6(4), 6(5) और एफएलएम के पैराग्राफ 3 और 9 की व्याख्या के आधार पर, हमने माना है कि मूल प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण है। साथ ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपीलकर्ता को कथित उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए उचित परिप्रेक्ष्य में मुद्दे की सराहना करने में विफल रही। इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रस्ताव के लिए किसी भी ई निर्णय पर भरोसा नहीं किया गया कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

19. एक बार जब हम उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो जाते हैं, तो हम उस उच्च मूल्य के प्रश्न पर आते हैं जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा मेसर्स होटल ज़म ज़म को विदेशी मुद्रा बेचने का आरोप लगाया गया था। जैसा कि हमने पहले बताया था, उक्त अधिनियम अपीलकर्ताओं के खिलाफ उल्लंघन और जुर्माना लगाने का आधार नहीं था। किसी भी विवाद को दूर करने के लिए, एफईआरए की धारा 6(4), 6(5) और 7 के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 के अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले जी के आदेश में दर्ज मूल प्राधिकारी के निष्कर्ष को उपयोगी ढंग से निकाला जा सकता है। जो इस प्रकार है: ..... इस प्रकार एच से प्राधिकरण पर जोर न देकर होटल ज़म ज़म ने नाम, पता और खुलासा किया मेसर्स कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल एंड फाइनेंस लिमिटेड से विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए उनके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के अन्य विवरण, उक्त मेसर्स कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल एंड फाइनेंस लिमिटेड ने मेमोरेंडम एफएलएम के पैरा 3 में निहित निर्देशों का उल्लंघन किया है। आर/डब्ल्यू एसईसी। फेरा, 1973 की धारा 6(4), 6(5) और 7। इसलिए मैं उन्हें उक्त उल्लंघनों के लिए दोषी मानता हूं।

20. इसके अलावा, जब हम सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दिनांक 21.08.1998 के आदेश में पारित जब्ती आदेश का उल्लेख करते हैं, तो इसे विशेष रूप से निम्नानुसार कहा गया है:

"मैसर्स एलकेपी के प्रबंधक श्री चित्रांग मेहता के दिनांक 06/7-08-97 के बयानों से संकेत मिलता है कि प्रचलित बाजार दरों से अधिक कीमतों पर लेनदेन हुआ है। हालाँकि, यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि दरें विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हो सकता है और उस दिन दर्ज की गई दरों पर शायद ही कोई लेन-देन प्रभावित होता है, जो न केवल विदेशी मुद्रा के लिए बल्कि अन्य वस्तुओं के लिए भी बाजार में प्रचलित होती है, जैसे शेयर बाजार या धातुओं में शेयर और विशिष्ट बाजारों में अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा बड़े लेनदेन किए जा रहे थे और ऐसे बड़े लेनदेन की बिक्री पर कमाया गया लाभ वास्तव में मुझे यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि केवल

उच्च स्तर पर बिक्री का तथ्य कीमतें एक पूर्व-निर्धारित ज्ञान होंगी कि बेचे गए डॉलर भारत से तस्करी के जरिए भेजे जाने हैं। मुझे लगता है कि जिस कीमत पर सुश्री पिंकी जयसिंघानी अन्य एफएफएमसी से डॉलर खरीद रही थीं, वह उनके गुरु श्री सुलेमान ताजुद्दीन पटेल के बीच तय की गई थीं और किसी पर विचार नहीं किया गया था। अन्य प्रकार।"

21. इसलिए, मूल प्राधिकारी, साथ ही ट्रिब्यूनल और डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेशों में, अपीलकर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर पर की गई बिक्री पैराग्राफ के कथित उल्लंघन का आधार नहीं थी। धारा 6(4) के साथ पठित एफएलएम के 3, फेरा का ए 6(5) और 7। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पारित जब्ती आदेश में, जहां अपीलकर्ता भी नोटिस प्राप्त करने वालों में से एक थे, उस आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई गलती नहीं पाई गई। हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के प्रकाश में, जिस उच्च मूल्य पर विदेशी मुद्रा को अपीलकर्ता द्वारा होटल ज़म ज़म को बेचा गया था, उसके संबंध में, पी.वी. में निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी। मोहम्मद बरमे संस (सुप्रा) के पास भी कोई आवेदन नहीं है। उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यों के तहत दिया गया है जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

22. उपरोक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद, हम आश्वस्त हैं कि अपीलकर्ताओं को एफईआरए की धारा 6(4), 6(5) और 7 के साथ पढ़े गए एफएलएम के पैराग्राफ 3 और परिणामी अधिरोपण के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। 50,000/- रूपये का जुर्माना पूरी तरह से अनुचित था। डी द्वारा आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें निरस्त किया जाता है। यदि अपीलकर्ताओं ने विवादित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया है, तो प्रतिवादी को इस फैसले की तारीख से दो महीने के भीतर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं को इसे वापस करने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम गढ़वाल आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।